न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18 / 2022	22 / 06 / 2020	17/12/25

हरिशचन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र 48 वर्ष जाति धाकड निवासी सम्मानपुरा तह० पीपल्या जिला कोटा राज०

प्रार्थी

1 राधा बाई पत्नि श्री गिर्राज जाति धाकड निवासी सन्मानपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा
2 गिर्राज पुत्र श्री बिहारीलाल जाति धाकड निवासी सन्मानपुरा तह० पीपल्या जिला कोटा राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री लेखराज धाकड एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 R-T-Act

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम सनमानपुरा पटवार हल्का सनमानपुरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शेरदा तहसील पीपल्या जिला कोटा राज० में खाता संख्या नया 332 पुराना 282 की खसरा न० 868 / 316 रकबा 1.62 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे विनादित आराजी सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी शातिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त करता आ रहा है। जबकी विवादित आरजी से अप्रार्थीगण का कोई विधिक सम्बन्ध नहीं है। विवादित आराजी नहर के समीपस्थ होने से बेशकिमती है जिससे अप्रार्थीगण के मन में लालय आ गया है और कब्जा करने पर उतारू रहते है। विवादित आराजी के समीपस्थ खसरा संख्या 313 की भूमि है जो कि अप्रार्थीक्रम 01 के नाम दर्ज है तथा उक्त विवादित आराजी व अप्रार्थी क्रम 01 की आराजी खसरा संख्या 313 के मध्य किसी तरह का सरकारी घोरा नहीं है। किन्तु अप्रार्थीगण विवादित आराजी व स्वयं की आराजी के मध्य सरकारी घोरा बताकर जबरन ताकत के बल पर एक राय होकर बिना किसी आधार व अधिकार के प्रार्थी की मेड को नष्ट कर दिया जिसका कि अप्रार्थीगणगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण दिनांक 06.05.2022 को उक्त आराजी पर एक राय होकर आये तथा प्रार्थी के शातिंपूर्ण उपयोग में मदाखलत एवं जाहमत करने का प्रयास किया एवं बिना किसी आधार एवं अधिकार के एंव गैरकानूनी रूप से बेदखल करने तथा उक्त आराजी को डिस्पोज करने की धमकी दी गई। अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसको किसी भी राशि से कम्पनसेड नहीं किया जा सकेगा तथा अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने के उपरान्त प्रार्थी को आर्थिक नुकसान प्राप्त नहीं हो सकेगा एवं वाद जटिलता बडेगी तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट है जिसका नाम उक्त आराजी में बतौर खातेदार जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी शातिप्रिय एवं कानून व्यवस्था को मानने वाला शरीफ व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण आपराधिक प्रवृत्ति के झगडालु व्यक्ति है जो ताकत के बल पर प्रार्थी के खाते प्रार्थना में वर्णित आराजी को कब्जा कर हडपना चाहते है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है क्योकि प्रार्थी विवादित भूमि के काबिज खातेदार है. अप्रार्थीगण को विवादित भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान व बाधा उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी

करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसी प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित नहीं किया तो यह जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की भूमि घर जबरन कब्जा करने में सफल हो जावेंगे तो जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा ने मुल्याकंन किया जाना सभंव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुल वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाये कि अप्रार्थीगण वादी के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त की कृषि आराजी ग्राम सनमानपुरा पटवार हल्का सनमानपुरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या नया 332 पुराना 282 की खसरा न० 868/316 रकबा 1.62 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर, भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत एवं गजाहमत करने कि कोशिश नही करें एवं प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री लेखराज धाकड एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रकरण मनगढ़त व झुठे तथ्यों पर आधारित है, प्रार्थी ने असल तथ्यो को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी के भूमि के खसरा नम्बर 316 है0 व अप्रार्थी क्रम 01 की भूमि के खसरा नम्बर 313 है। खसरा नम्बर 313 व 316 के मध्य चक नम्बर 50 में सरकारी धोरा स्थित है जिसे प्रार्थी ने हांककर नष्ट कर दिया और सरकारी धोरे की जगह को अपने खेत मे मिला लिया। अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा नष्ट किये धोरे की शिकायत सी.ए.डी विभाग व तहसीलदार पीपल्दा के यहा दी। जिस पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा मौका देखा गया और दिनांक 16.06.2022 को क्रमांक/राजस्व/2022/223 कार्यालय आदेश तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ने आदेश जारी कर रिपोर्ट दी जिसमें स्वयं प्रार्थी द्वारा सरकारी धोरे को नष्ट करना पाया गया तथा दिनांक 06.06.2022 को क्रमांक 102–4 कार्यालय सहायक अभियन्ता दाई नहर उपखण्ड दितीय सी.ए.डी. इटावा जिला कोटा राज० ने उक्त स्थान का मौका निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट दी की चक नम्बर 50 खसरा संख्या 313 व 316 के मध्य प्रार्थी द्वारा सरकारी धोरे पर कब्जा कर नष्ट कर दिया गया है, तथा मौका स्थल का निरिक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर प्रार्थी ने सरकारी धोरे पर कब्जा/ अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे अतिक्रमण मुक्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने व सरकारी धोरे पर कब्जा करने की कार्यवाही से बचने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है ताकि झुठे कथन के आधार पर न्यायालय से स्टे प्राप्त कर अपने खिलाफ होने वाली कार्यवाहियो को रोक सकें। प्रार्थी द्वारा की गई दावे की कार्यवाही अवैध है। प्रार्थी द्वारा धोरे व मेढ को नष्ट कर उसकी भूमि को अपने चौत में मिला लिया है जिसकी कोई पैमाईश प्रार्थी द्वारा नहीं करवाई गई है। प्रार्थी द्वारा सरकारी धोरे को नष्ट कर अप्रार्थी को सिंचन संकर्म से वचिंत कर दिया है, जिससे प्रार्थी की फसल सुख जाती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 22.06.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। 28.06.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की गई। जिसकी अपील निर्णय दिनांक 17.07.2023 को निर्णय दिनांक 28.06.2023 का निर्णय निरस्त कर पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

रमाड की गई। अधिशांषी अभियंता खेत सुधार खंड द्वितीय दाई मुख्य नहर सीएडी कोटा से रिपोर्ट प्राप्त करने पर अंतिम निर्णय हेतु पत्रावली नियत की गई।

बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है। ख0नं0 316 व 313 मे मध्य सरकारी धोरा नहीं है। स्वयं के खर्चे पर धोरा निर्माण किया जिसे प्रार्थी ने समतल कर दिया। अप्रार्थी प्रार्थी के खाते की भूमि में नया धोरा कायम करना चाहता है उसे कोई अधिकार नहीं है। अगर धोरा निर्माण किया तो अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि सरकारी धोरे जो 313 व 316 के मध्य था को नष्ट किया। अप्रार्थी को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। रिकॉर्ड में धारा था जिसे मिटा दिया गया। सिंचाई नहीं होने से फसल खराब होगा व नुकसान। अधिशांषी अभियंता के पत्र दिनांक 06.06.2023 को सीमाज्ञान व अतिक्रमण हटाने के लिए और दिनांक 02.01.2023 में क्षतिग्रस्त धोरे को दुरस्त कराने हेतु पत्र जारी किए गए।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी सम्मानपुरा स्थित ख.न. 310 का अभिलिखित खातेदार मुताबिक राजस्व रिकोर्ड प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। सामान्यतः रिकॉर्डेड खातेदारी को उसकी भूमि पर काबिज माना जाता है जब तक कि अन्यथा साबित प्रमाणित पुष्ट नही कर दिया जाता। इस मामले में भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के ख.न. 316 पर कब्जे संबंधी इसी तरह का आक्षेप या खंडन नहीं किया गया। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला चलने लायक है तथा प्रार्थी के पक्ष में है। अधिशाषी अभी खेत सुधार खण्ड द्वितीय दाई मुख्य नहर सी.ए.डी. कोटा के पत्र क्रमांक 02.01.2023 तथा संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थियों द्वारा बताए गए क्षतिग्रस्त धोरे वाले स्थान का अवलोकन दिनांक 21.12.2022 को कर लिया गया है। उक्त धोरा को पूर्व में वर्ष 2014–15 के दौरान हेड के कच्चे धोरो को पक्का करवा दिया गया था लेकिन टेल में कच्चा हिस्सा ही पक्का होने से शेष रह गया था जिसको काश्तकार महावरी धाकड, रमाकांत, हेमंत आदि अपने खेतों में पानी लेते आ रहे थे लेकिन उस कच्चे धोरे को हरिचन्द्र धाकड के द्वारा मिटाने के कारण नीचे वाले काश्तकार को अपने खेतों में पानी लेने समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे पूर्व 06.06.2022 को सहायक अभियंता दाई नहर उपखण्ड द्वितीय सी.ए.डी. द्वारा तहसीलदार पीपल्दा को राजस्व रिकोर्ड अनुसार 313 व 316 की सीमाज्ञान करने व अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही हेतु लिखा गया था। जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व टीम का गठन किया गया। दिनांक 11.11.2022 को सहायक अभियंता दाई नहर उपखण्ड सीएडी कोटा द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना खातौली को लिखे पत्र अनुसार विवादित धोरा सिंचाई विभाग के रिकोर्ड में अंकित नहीं होना बताया तथा यह दोनो पक्षकारों की आपसी सहमति से बनाया संभावित बताया जिसे दोनो पक्षो में विवाद के चलते मिटाने की संभावना भी जताई गई। विवादित धोरे के सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में होने व नहीं होने संबंधी विरोधाभासी रिपोर्ट के स्पष्टीकरण हेतु सिंचाई विभाग को प्रेषित पत्र के प्रत्युत्तर में विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि "प्रकरण से संबंधित खेत में खेत सुधार कार्यकम के अंतर्गत पक्के फील्ड चैनल का निर्माण कार्य किया गया था। इस कार्यालय द्वारा पक्के फील्ड चैनल का निर्माण कार्य सिंचाई शाखा सीएडी चम्बल कोटा से प्राप्त सजरा मैप के आधार पर किया जाता है। इस कार्यालय के द्वारा पक्के फील्ड चैनल निर्माण कार्य पश्चात नक्शा सिंचाई शाखा सीएडी चम्बल कोटा को दे दी जाती है जिस पर अंतिम निर्णय कर सिंचाई शाखा अपने सजरा मैप को अंतिम रूप दिया जाता है वही सजरा मैप सिंचाई के लिए मान्य है फिर

उपखण्ड अधिकारी

भी सिंचाई के लिए कृषकों एवं कृषकों के मध्य विवाद/समस्या उत्पन्न होती है तो उसके निवारण हेतु श्रीमान क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीएडी चम्बल कोटा के आदेश कमांक 152 दिनांक 21.03.2013 (प्रति संलग्न) के अनुसार खेत सुधार निराकरणा समिति का गठन आपकी अध्यक्षता में किया गया है'' अतः इस संदर्भ में पत्र में वर्णित नक्शे के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में धोरे के सरकारी नहीं होने संबंधी टिप्पणी की गई है ता रिपोर्ट की Finding व सिंचाई विभाग द्वारा जताई गई संभावना समांगी व सांमजस्यपूर्ण है कि यह धोरा पूर्व मे आपसी सहमति से बनाया गया था व वाद में आपसी विवाद के चलते मिला दिया गया। प्रार्थी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा धोरे को मिला लिया गया है। न्यायालय का मत है कि किसी खातेदार को बिना उसकी सहमति के धोरा निर्माण के लिए विवश, मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार धोरे का निर्माण किया जाता है तो उसके साम्पत्तिक अधिकारों के उपभोग व उपयोग में अविधिक हस्तक्षेप है जिससे उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति आर्थिक रूप से या मुद्रा से संभव नहीं होगी। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को असुविधा का सामना करना पडेगा तथा उसके खातेदारी अधिकारों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होगी। इस विवेचन की पूर्णता हेतु अप्रार्थी का कथन कि सिंचाई के अभाव में उसे फसल नुकसान झेलना पडेगा तार्किक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अवलोकन तथा पत्र दिनांक 02.01.2023 से न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है कि अप्रार्थी के खेत के कुछ भाग तक पक्के धोरे द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकि कच्चे धोरे, जिस पर विवाद है, की स्थिति पर निर्णय इस प्रार्थना पत्र के इस चरण में करना न तो संभव है न ही आवश्यक। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थी को कोई असुविधा होना संभावित नहीं है तथा नक्शे से यह भी स्पष्ट है कि अन्य पडौसी खातेदारों तक भी सिंचाई सुविधा की पहुंच है, ख0नं0 315, 311, 312 व 314 तक पक्के धोरे द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है इस प्रकार व्यापक जनहित (Public Interest) का किसी प्रकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होना संभाव्य नहीं है। इस प्रकार सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपरिमित क्षति कारित होने की संभावना के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त ख0नं0 316 ग्राम सनमानपुरा, पटवार हल्का सनमानपुरा, भू0अभि0निरीक्षक क्षेत्र बोरदा तह0 पीपल्दा में न तो स्वयं मदाखलत व मजाहमत करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से कराये। अस्थाई निषेधाज्ञा मुल वाद के अन्तिम निर्णय तक जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा